न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—356/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/356)

1. राजा खान पुत्र अनवर खान जाति मुसलमान निवासी बाडीया जग्गा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।
2. उप—पंजीयक ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 211/2022 (2022/489).

उपस्थितः—

1. श्री धमेन्द्रसिंह टांक, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02.

निर्णय

दिनांकः—27.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 211/2022 (2022/489) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला अजमेर के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध वर्तमान अपीलांट/प्रतिवादी के प्रस्तुत किया। वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 989/961 रकबा 0.4547 है0 तथा खसरा नम्बर 999/955 रकबा 0.4507 है0 कुल किता 2 रकबा 0.9054 है0 मौजा बाडीया जग्गा में स्थित है जिसका वादी लैण्ड होल्डर है तथा प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। उक्त वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी कृषि भूमि के काम में ना लेकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए एवं बिना किस्म परिवर्तन किए मौके पर प्लॉटिग कर उक्त आराजी को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर आराजी को खुर्द बुर्द कर रहा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है जिससे उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व शर्तो को भंग कर बिना किसी परिवर्तन आदेश के आराजी की किस्म को परिवर्तन किया है जिससे सरकार को राजस्व की हानी हुई हे। जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कारण प्रतिवादी को उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। उक्त वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण दिनांक 16.5.2022 को उत्पन्न हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अवैध रूप से मौके पर प्लॉटिग कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने की सूचना जरिए रिपोर्ट दी। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177, 92ए, 209 के तहत वादपत्र वादी के पक्ष में डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्तं आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। वर्तमान अपीलांट को नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात दिनांक 24.08.2022 को अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर, दिनांक 29.09.2022 को बहस सुनी जाकर दिनांक 11.10.2022 को प्रकरण निस्तारण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 211/2022 (2022/489) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10. 2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि उनक द्वारा उक्त वादपत्र दिनांक 14.6. 2022 को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को सम्मन जारी किए गए थे जिस पर किसी तथाकथित डिम्पल नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित है तथा ऊपर की तरफ मालकिन संयुक्त परिवार दर्ज है जबकि उक्त तथाकथित डिम्पल का वर्तमान अपीलांट से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही वह अपीलांट के परिवार से ही कोई संबंध रखता या रखती है जिससे यह भलीभांति सिद्ध था कि वर्तमान अपीलांट को जाप्ता दिवानी के आदेश 5 नियम 17 के तहत सम्मन की विधिवत तामील नहीं करवाई गई थी तथा बाला–बाला एकपक्षीय रूप से उसके विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही कर दी गई जो न्याय के सर्वथा विपरीत होने से उक्त अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। जब किसी न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण प्रस्तुत होता है तो उसमें विपक्षी पक्षकार को सूचना हेतु सम्मन जारी करने एवं उक्त सम्मन की विधिवत तामिल हेतु जाप्ता दीवानी के आदेश 5 के तहत सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अंकित की गई है जिसके तहत आदेश 5 नियम 17 लगायत 20 में सम्मन तागीली की व्यवस्था अंकित की गई है जिसके तहत यदि अपीलांट को सम्मन जारी किया गया तथा उसका सम्मन किसी उसका सम्मन किसी तथाकथित व्यक्ति द्वारा लिया गया तो उसमें यह अंकित करना अनिवार्य था कि उक्त व्यक्ति का अपीलांट से क्या संबंध था तथा वह कैसे संयुक्त परिवार का व्यक्ति था परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सम्मन में उक्त किसी भी प्रकार की कोई प्रविष्टी अंकित नहीं थी जिससे वह सम्मन प्रथम दृष्टया ही संदेहास्पद थे जिसके आधार पर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही नहीं की जा सकती थी परंतु उक्त महत्वपूर्ण विधिक तथ्य के विपरीत जाकर जा0दी0 के आदेश 5 में अंकित आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कर निर्णय व डिक्री पारित की है। उपखण्ड अधिकारी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि उनके समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही एक तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 16.5.2022 पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई थी जिसके आधार पर उक्त वादपत्र को दर्ज कर डिक्री किया गया। वस्तुस्थिति यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.5.2022 को जो तथाकथित मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी उक्त बाबत कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई एव ना ही उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा व्यक्तिगत रूप से मौके पर आकर वर्तमान अपीलांट की मौजूदगी में ही तैयार की गई थी जो कि उनके लिए आज्ञापक व अनिवार्य था साथ ही उक्त मौका रिपोर्ट को देखने से यह स्पष्ट है कि वह मात्र रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए बाला बाला बिना मौके पर जाए अपने कार्यालय में ही मिलीभगत कर बनाई गई थी जो प्रथम दृष्टया ही विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत एवं अपने आप मे संदेहास्पद थी जिसके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य था कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए वाद दर्ज होने पर वर्तमान अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते तथा उसकी मौजूदगी में मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगाकर उक्त अनुसार अपना निर्णय पारित करते परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं। वादग्रस्त आराजी आज भी राजस्व रिकार्ड में कृषि आराजी होकर अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है परंतु राजस्व कर्मचारीगण जानबूझकर अपीलांट को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से उसके विरूद्ध येन केन प्रकारेण अविधिक रूप से बिना उसके साक्ष्य सुनवाई का मौका दिए उसके विरूद्ध कार्यवाही कर उसे उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमाद है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस तथ्य को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कि है वह निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 211/2022 (2022/489) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 989/961 रकबा 0.4547 हैक्टर किस्म चाही–1 999/955 रकबा 0.4507 है0 किस्म चाही–1 मौज बाडिया जग्गा में स्थित है। उक्त आराजी का प्रतिवादी लैण्ड होल्डर है। वादी आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। वादीगण वर्णित वादपत्र की कृषि भूमि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर मौके पर प्लाटिग कर उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ कर जमीन को खुर्द–बुर्द कर रहे हैं जिसका वादीगण को हक अधिकार नहीं है। वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानूनों के प्रावधानों व शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व की हानि हुई है जिसके कारण अब वादी को वादपत्र में वर्णित भूमि से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। वाद कारण दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

16.5.2022 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रतिवादी को वादी द्वारा वाद–पत्र की वर्णित भूमि के अवैध रूप से मौके पर प्लॉटिंग कर अकृषि प्रयोजनार्थ करने की सूचना जरिए रिपोर्ट दी। इस वाद–पत्र को सुनने का हक अदालत को धारा 177, 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के तहत है। अतः वाद बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी डिक्री फरमाया जाकर वादपत्र के वर्णित भूमि से बेदखल किया जाए तथा वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर वादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी को सम्मन तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे तथा वादपत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन करते हुए धारा 177, 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलाए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में प्रतिवादी का वाद स्वीकार कर वर्तमान अपीलांट को ग्राम बाडिया जग्गा पटवार हल्का जालिया प्रथम की विवादित आराजीयात खसरा संख्या 999/955 रकबा 0.4507 है0 किस्म चाही–1 989/961 रकबा 0.4547 है0 किस्म चाही–1 से धारा 177 (1) व (2) व धारा 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम क अंतर्गत भूमि से बेदखल किया व कृषि आराजीयात को भू–धारक राजस्थान सरकार में निहित कर सिवायचक घोषित किए जाने के आदेश प्रदान किए। वर्तमान अपीलांट द्वारा अपनी आराजीयात को बिना नियमानुसार संपरिवर्तित कराये कृषि से अकृषि कार्य किये जाने के कारण वाद स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट का यह तर्क है कि वाद पत्र दिनांक 14.06.2022 को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को सम्मन जारी किये गये थे, जिस पर किसी तथाकथित डिम्पल नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर है तथा ऊपर की तरफ मालकिन संयुक्त परिवार दर्ज है जबकि उक्त तथाकथित डिम्पल का वर्तमान अपीलांट से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही वह अपीलांट के परिवार से ही कोई संबंध रखता या रखती है जिससे यह भलीभांति सिद्ध था कि वर्तमान अपीलांट को जाप्ता दिवानी के आदेश 5 नियम 17 के तहत सम्मन की विधिवत तामील नहीं करवाई गई थी तथा बाला–बाला एकपक्षीय रूप से उसके विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही कर दी गई जो न्याय के सर्वथा विपरीत होने से उक्त अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 14.06.2022 को वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत् रूप से सम्मन जारी किये गये तथा पत्रावली में सलंग्न नोटिस की पुश्त पर डिम्पल एवं राजाखान के हस्ताक्षर है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान अपीलांट को नोटिस प्राप्त नहीं हुए या वाद की जानकारी नहीं रही हों। अतः अपीलांट का यह कथन सारहीन है। अपीलांट का दूसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तर्क यह है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त वाद–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही एक तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 16.5.2022 पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई थी जिसके आधार पर उक्त वादपत्र को दर्ज कर डिक्री किया गया। वस्तुस्थिति यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.5.2022 को जो तथाकथित मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी उक्त बाबत कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई एव ना ही उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा व्यक्तिगत रूप से मौके पर आकर वर्तमान अपीलांट की मौजूदगी में ही तैयार की गई थी किन्तु पत्रावली के अवलोकन एवं अधीनस्थ न्यायालय में सलंग्न मौका पर्चा दिनांक 16.05.2022 से यह स्पष्ट है कि उक्त मौका पर्चा पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक जालिया–प्रथम द्वारा तैयार की गई तथा उक्त मौका पर्चा तहसीलदार, ब्यावर के आदेश क्रमांकः राजस्व/2022/1742–54 दिनांक 09.05.2022 की पालना में तैयार की गई जिसमें यह अंकित किया गया है कि खाता संख्या 169 के खसरा नम्बर 989/961, खसरा नम्बर 999/955 कुल रकबा 0.9054 है0 भूमि को कृषि से अकृषि के उपयोग में लिया जा रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रत्येक भूमि का भू धारक राजस्थान सरकार है। काश्तकार एक खातेदार है जिसके खातेदारी अधिकारी अभिधृति के अधिकार है न कि संपत्ति के अधिकार है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि वह अपनी कृषि भूमि को अकृषि कार्य के लिए उपयोग में नहीं ले रहा है। उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा कृषि भूमि पर प्लाटिंग कर धारा 5 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की परिभाषा से भिन्न कार्य किया जा रहा है, जो नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटस खारिज किया जाना उचित समझते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत होने के कारण, हाजा न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 211/2022 (2022/489) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर रो कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर